



No. 2/8/2017-Coord.

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

छठा तल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन,
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
Khan Market, New Delhi -110003
Dated: 29 June, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के अलग-अलग राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय दौरों/दौरा रिपोर्टों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (मुख्यालय) और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु एकरूप प्रपत्र तैयार करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक मामला आयोग की 96वीं मीटिंग दिनांक 30.5.2017 के शीर्षक "अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद" के कार्य सूची मद संख्या 4 में चर्चा हेतु रखा गया था। माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों ने दौरा/दौरों रिपोर्ट हेतु एकरूप प्रपत्र पर स्वीकृति प्रदान की है। (मीटिंग के कार्यवृत्त का सम्बन्धित हिस्सा संलग्न है)।

दौरा/दौरों रिपोर्ट हेतु एकरूप प्रपत्र की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं में) आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेसित है।


(दिलीप एस. कुंभारे) 29/6/17
अवर सचिव
दूरभाष: 24657271

1. माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव
2. माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव
3. माननीय सदस्य (श्री एच.के.डी) के निजी सहायक
4. माननीय सदस्य (श्री एच.सी.वी) के निजी सचिव
5. माननीय सदस्य (श्रीमती एम.सी.आई) के निजी सहायक
6. सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
7. संयुक्त सचिव के निजी सहायक
8. निदेशक के निजी सहायक
9. उप सचिव के निजी सहायक
10. निदेशक/सहायक निदेशक/अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/भुवनेश्वर/जयपुर/रायपुर/रांची/शिलांग।
- ✓ 11. एनआईसी, आयोग की वेबसाइट पर डालने हेतु।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) की 96वीं बैठक में हुई चर्चा का कार्यवृत्त।

(फाईल सं. 1/5/2017-समन्वय)

दिनांक : 30.5.2017

समय : 12 बजे

स्थान : सम्मलेन कक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, छठा तल, लोकनायक भवन,
नई दिल्ली-110003

अध्यक्षता : श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष।

सहभागियों की सूची :

1. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
2. श्री हरि कृष्ण डामोर, सदस्य
3. श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, सदस्य
4. श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, सदस्य
5. श्री राघव चंद्रा, सचिव
6. श्री एस.के. रथ, संयुक्त सचिव
7. श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक
8. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
9. श्री एस.पी. मीना, सहायक निदेशक
10. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक

बैठक के लिए निर्धारित कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए—

अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद

Any other items with permission of Chair

कार्यसूची मद संख्या. 4	माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के अलग-अलग राज्यों/संघ शांति प्रदेशों के क्षेत्रीय दौरों/दौरा रिपोर्टों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (मुख्यालय) और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु एकरूप प्रपत्र तैयार करने के संबंध में।
Agenda item No. 4	Format for containing the gist of the field visits/tour reports to be used by the Hon'ble Chairperson, Vice-Chairperson and Members of NCST.

4.1 माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के अलग-अलग राज्यों/संघ शांति प्रदेशों के क्षेत्रीय दौरों/दौरा रिपोर्टों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (मुख्यालय) के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों को समर्थ बनाने के लिए यह प्रस्ताव किया गया कि विनिर्दिष्ट सिफारिशों जिन पर अनुवर्ती कार्यवाही की जानी आवश्यक है के साथ-साथ क्षेत्रीय दौरों/दौरा रिपोर्टों में मुख्य बिंदुओं को शामिल करते हुए एक प्रपत्र तैयार किया जाए। क्षेत्रीय दौरों/दौरा रिपोर्टों के सार को समाविष्ट करने वाले इस प्रपत्र का उपयोग कार्यालय में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए किया जाएगा। तथापि, दौरा डायरी और फोटोग्राफ का वर्तमान चलन दौरा रिपोर्ट के अतिरिक्त कागजातों के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं।

4.2 दौरा/दौरों रिपोर्ट हेतु एकरूप प्रपत्र पर माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों ने स्वीकृति प्रदान की है।

Field Visit/ Tour Report of Hon'ble Chairperson/Vice Chairperson/Member,
NCST to the State of & from dd/mm/yyyy to dd/mm/yyyy

1.	Name of the Visiting Dignitary:	
2.	Date of Visit/Tour: (dd/mm/yyyy)	
3.	Places visited:	Village (s)/Town (s): District: State:
4.	Key Persons/ Officials / Organisations met:	
5.	Key Highlights of the visit: (Major issues discussed during tour/visit)	

6. Follow-up Action to be taken and by whom:
(Specific recommendation may be mentioned along with the name & designation of the official with whom the matter needs to be followed up by NCST officials)

(Signature of the Visiting Dignitary)

Enclosures:

1.

2.

3.

